अभिलेख उपस्थापित। भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोड्डा के पत्रांक–268/भू0सु0 दिनांक–02.11.2020 से अभिलेख प्राप्त है।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोड्डा ने अभिलेख में उल्लेख किया है कि मौजा–धर्मुडीह, थाना नं0–520 के गैरमजरूआ खाता सं0–87 के अन्दर दाग सं0–1371 कुल खतियानी रकवा–30–17–10 धूर, किस्म–परतीकदीम के रूप में सर्वे खतियान में अंकित है। पंजी– II में खाता सं0–87 मी0 के अन्दर रकवा–06–11–10 धूर भूमि श्री अनन्त लाल पंडित, पिता–कन्हाई पंडित सा0 गोड्डा के नाम से श्रीमान अवर प्रमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के भूमि बंदोबस्ती केश सं0–803/70–71 आदेश तिथि 20.06.1973 के आधार पर दर्ज है। जॉच के क्रम में पाया कि बंदोबस्तदार मौजा धरमुडीह का जमाबंदी रैयत नही है तथा इनका इस मौजा में निवास मकान भी नही है। उक्त जमीन पर बंदोबस्तदार रैयत/ वंशजो का दखल कब्जा/जोत कोड़ नही है। उक्त बन्दोबस्त भूमि पर इसी ग्राम के अन्य व्यक्ति का जोत–कोड़ है। इसी ग्राम में अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अत्यंत पिछड़ी जाति श्रेणी के भूमिहीन रैयत होने के बावजुद सामान्य श्रेणी के साथ भूमि बंदोबस्ती की गई है। संथाल परगना कास्तकारी पूरक अधिनियम 1949 की धारा 28 में वर्णित है कि उसी मौजा मे निवास करने वाले जमाबंदी रैयत के साथ अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अत्यंत पिछड़ी जाति श्रेणी के भूमिहीन रैयत को प्राथमिकता देते हुए भूमि की बंदोबस्ती की जानी है संथाल परगना कास्तकारी पूरक अधिनियम 1949 की धारा 28 का अनुपालन नही करने एवं धारा 33 (पांच वर्षो के अंदर भूमि का जोत कोड़/दख्ल कब्जा नही रहने) के कारण उक्त बंदोबस्ती रद्द् करने की अनुशंसा की गई है।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोड्डा द्वारा झारखण्ड सरकार राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के संकल्प सं0–6144/रा0 दिनांक–21.12.2017 एवं संथाल परगना कास्तकारी पूरक अधिनियम–1949 की धारा–28 का अनुपालन नही करने एवं धारा–33 (पांच वर्षो के अंदर भूमि का जोत कोड़/दख्ल कब्जा नही रहने) के कारण मौजा धरमुडीह थाना सं0–520 के गैरमजरूआ खाता सं0–87 के अंदर दाग सं0–1371 किस्म–परतीकदीम में बंदोवस्त रकवा–06–11–10 धूर (पांच एकड़) भूमि का अवैध/संदेहास्पद जमाबन्दी को जांचोपरान्त नियमानुसार रद्द् करने की अनुशंसा किया गया है।

अतः भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोड्डा के अनुशंसा के आधार पर झारखण्ड सरकार राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के संकल्प सं0–6144/रा0 दिनांक–21.12.2017 एवं संथाल परगना कास्तकारी पूरक अधिनियम–1949 की धारा–28 का अनुपालन नही करने एवं धारा–33 (पांच वर्षो के अंदर भूमि का जोत कोड़/दख्ल कब्जा नही रहने) के कारण मौजा धरमुडीह थाना सं0–520 के गैरमजरूआ खाता सं0–87 के अंदर दाग सं0–1371 किस्म–परतीकदीम में बंदोवस्त रकवा–06–11–10 धूर (पांच एकड़) भूमि का अवैध/संदेहास्पद जमाबन्दी को रद्द् किया जाता है।

अभिलेख अंचल अधिकारी, गोड्डा को भेजे एवं इसकी सूचना भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता गोड्डा को दे।

लेखापित एवं संशोधित

18/11/2020

अनुमंडल पदाधिकारी,
गोड्डा।

18/11/2020

अनुमंडल पदाधिकारी,
गोड्डा।